Form no. III

फर्द अहकाम

(नियम 226)

अज अदालत – अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम–1, अजमेर (राज.)

भागचंद बनाम अक्षयसिंह व अन्य

किस्म मुकदमा – दीवानी विविध नम्बर 27 सन् 2014

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
01-06-2024	वादी व प्रतिवादी के अधिवक्तागण उपस्थित। प्रार्थी/प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 11 नियम 12 धारा 151 व्य.प्र.सं. के तहत दि. 9.1.2024 को पेश किया गया है, जिसका इस आदेश के जरिये निस्तारण किया जा रहा है। प्रार्थी/प्रतिवादी की ओर से उक्त प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में मुख्यतः निवेदन किया गया कि प्रतिवादी की स्पष्ट प्रतिरक्षा अपने प्रतिवाद पत्र में रही है कि वादी बिना किसी स्वत्व एवं अधिकार के सम्पत्ति संख्या 53/24 = 336/29 को हड़पना चाहता है और इस के चलते उसके द्वारा गलत व फ़र्जी दस्तावेजात की कूटरचना की गयी है। वादी द्वारा वादग्रस्त जायदाद में आबाद किरायेदार श्रीमती आशा जैन के विरूद्ध बेदखली का मुकदमा किया गया था, उसके कोई भी दस्तावेज उसके द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किये गये है, ना हीं उसकी विगत अंकित की गयी है। प्रतिवादी द्वारा अपने प्रतिवाद पत्र में स्पष्ट रूप से दिनांक 30.04.2006 को वादी द्वारा जो कथित दस्तावेज का निष्पादन अपने वाद पत्र की चरण संख्या 7 में किया जाना बताया गया है उसका असल न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने बाबत् तथ्य अभिकथित किये गये है, जो दस्तावेज भी वादी द्वारा आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादी की जिरह के पूर्व आशा जैन से चले मुकदमों के दस्तावेज अथवा उसकी विगत व कथित दिनांक 30.04.2006 के हस्तान्तरण व कब्जा सुपुर्दगी दस्तावेज का पत्रावली पर प्रस्तुतीकरण व उसकी साक्ष्य में ग्राहृता निर्धारित किया जाना अत्यंत आवश्यक व सुसंगत है। अतः वादग्रस्त जायदाद में आबाद आशा जैन से चले वाद से संबंधित दस्तावेज व विगत एवं दिनांक 30.04.2006 के हस्तान्तरण व कब्जा पत्र को प्रस्तुत कराये जाने के आदेश प्रदान करावें। अप्रार्थी/वादी की ओर से उक्त आवेदन पत्र के तथ्यों से इन्कार करते हुऐ जवाब पेश किया जाकर कथन किये है कि प्रार्थना पत्र की चरण सं. 1 एवं 2 में लिखे तथ्य पूर्ण सही एवं वास्तविक नहीं है। फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज बनाये जाने का तथ्य बिलकुल गलत है। आशा जैन के विरूद्ध मुकदमा हुआ हो, उसके बाबत भी जो तथ्य प्रतिवादी ने लिखे है वे वर्णित अनुसार सही एवं वास्तविक नहीं है। प्रतिवादी की ओर से जाहिर किया गया है कि दिनांक 30.4.2006 का दस्तावेज वादी द्वारा मूल ही पत्रावली पर प्रस्तुत कर दिया गया और वह पत्रावली पर अभिलेख पर उपलब्ध है, और इसकी प्रति भी प्रतिवादी पक्ष को उपलब्ध कराई गई है, जो आशा जैन के	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज —2—	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	प्रकरण से संबंधित दस्तावेज बताये गये है वे वादी के पास उपलब्ध नहीं है, और यह प्रार्थना पत्र प्रकरण को देरीना करने के आशय से प्रस्तुत किया गया है, जो अस्वीकार कर खारिज किया जावें। बहस उभयपक्ष सुनी गई, तर्को पर मनन किया, पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी पक्ष द्वारा जिस दस्तावेज दिनांकित 30.04.2006 को प्रस्तुत कराये जाने का निवेदन किया गया है, उक्त दस्तावेज पूर्व से पत्रावली पर है एवं जिसकी प्रति भी प्रतिवादी पक्ष को उपलब्ध कराई जा चुकी है, अतः उसके संबंध में कोई आदेश दिये जाने का औचित्य नहीं है। जहाँ तक आशा जैन से चले प्रकरण के दस्तावेजात का प्रश्न है तो उसके संबंध में प्रतिवादी द्वारा स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया गया है कि कौनसे कौनसे दस्तावेजात आशा जैन से संबंधित मुकदमें के प्रस्तुत कराया जाना चाहता है। यह लिख देने मात्र से कि आशा जैन के मुकदमों के दस्तावेजात प्रस्तुत कराये जावें, दस्तावेजात को तलब किये जाने का आधार नहीं हो सकता, क्योंकि दस्तावेज न्यायालय द्वारा वे ही तलब कराये जा सकते है, जिनका स्पष्ट रूप से उल्लेख हों की कौन कौन से दस्तावेज वादी से प्रतिवादी तलब करवाना चाहतो है। वादी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में बताया गया है कि आशा जैन से चले संबंधित मुकदमें के कागजात वर्तमान में उसके पास उपलब्ध नहीं है। वैसे भी दस्तावेज जो तलब कराया जाना चाहते है उसका स्पष्ट उल्लेख प्रार्थना पत्र में नहीं है। अतः उपरोक्त समग्र विवेचन व विश्लेषण से प्रार्थी/प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 11 नियम 12 धारा 151 व्य.प्र.सं. अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी तरूण जैन की जिरह हेतु दि. .... को पेश हों। अपर जिला न्यायाधीश, क्रम–1, अजमेर।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज —3—	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए